लंबे समय तक चलने वाले (दीर्घकालिक) कीटनाशक जाल (एलएलआईएन) के उत्पादकों और पंजीकरण धारकों के लिए मार्गदर्शन

DO NOT PRINT

प्रस्तावना/परिचय

मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में डाइक्लोरोडिफेनिलट्राइक्लोरो (डीडीटी) के विकल्प को विकसित करने एवं बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) भारत के साथ काम कर रहे हैं। इनमें लंबे समय तक चलने वाले (दीर्घकालिक) कीटनाशक जाल (एलएलआईएन) शामिल हैं: वे मछरदानी जिनके धागे कीटनाशक उपचारित होते है

भारत सरकार के स्वास्थ्य, परिवार और कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के अंतर्गत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी), मलेरिया की रोकथाम के लिए मुख्य वेक्टर नियंत्रण हस्तक्षेप के रूप में लंबे समय तक चलने वाले (दीर्घकालिक) कीटनाशक जाल (एलएलआईएन) के उपयोग की अनुशंसा करता है। ये जाल सुरक्षित, प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल और डीडीटी के टिकाऊ विकल्प हैं। डीडीटी के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता और इसके परिणामस्वरूप भारत के रोगाणुवाहक (वेक्टर) नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डीडीटी विकल्पों, विशेष रूप से दीर्घकालिक कीटनाशक जाल (एलएलआईएन) की संभावित मांग को ध्यान में रखते हुए, नए दीर्घकालिक कीटनाशक जाल (एलएलआईएन)उत्पादकों और आयातकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए इन उत्पादों के निर्यात के पर्याप्त अवसरों को देखते हुए, भारत दीर्घकालिक कीटनाशक जाल(एलएलआईएन) के लिए एक संभावित उत्पादन केंद्र बन सकता है।

महत्वपूर्ण विनियामक आवश्यकताएँ:

- कीटनाशक अधिनियम, 1968 और नियम, 1971
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
- भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872

दीर्घकालिक कीटनाशक जाल(एलएलआईएन) के उत्पादकों, आयातकों और निर्यातकों के लिए मार्गदर्शन/दिशानिर्देश

- स्वदेशी उपयोग के साथ-साथ निर्यात के लिए विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए नियामक प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।

भारत[1] में एक नया व्यवसाय/विनिर्माण सुविधा शुरू करने के लिए अपनाई जाने वाली नियामक प्रक्रियाएं

- सभी घरेलू उत्पादकों के साथ-साथ आयातकों द्वारा **दीर्घकालिक कीटनाशक जाल (एलएलआईएन)** का अनिवार्य पंजीकरण।

दीर्घकालिक कीटनाशक जाल (एलएलआईएन) की पंजीकरण प्रक्रिया

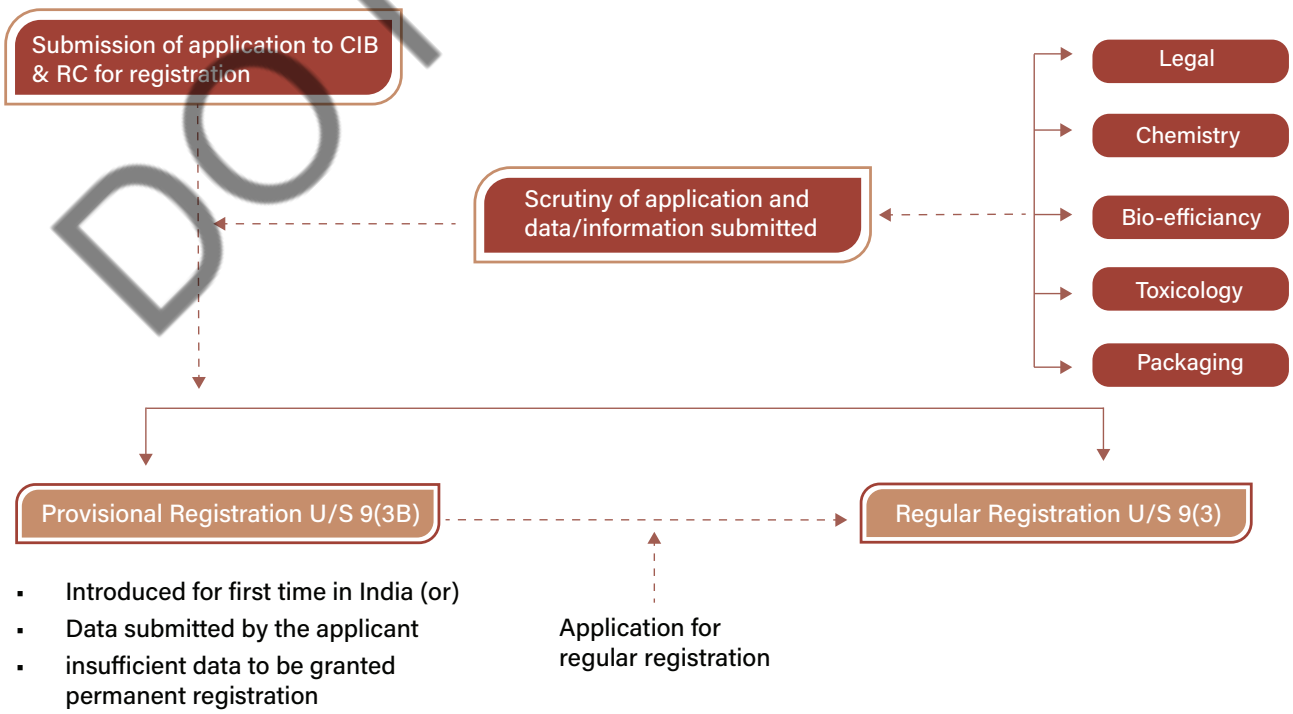

1. https://dpiit.gov.in/sites/default/files/approval_clearances_required_for_new_projects.pdf

DO NOT PRINT

- जहां उत्पादन इकाई स्थापित की गई है वहाँ की संबंधित राज्य सरकारों से अनुमोदन (विनिर्माण लाइसेंस)।
- नियमों का अनुपालन
    - केंद्रीय कीटनाशक मंडल (बोड) और पंजीकरण समिति (सीआईबी और आरसी) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट निर्धारित शर्तों (उदाहरण के लिए, तकनीकी विनिर्देश, लेबलिंग और पैकेजिंग, कच्चे माल की गुणवत्ता, आदि) का अनुपालन।
    - उत्पादन सुविधा के कार्यरत होने से पूर्व और पश्चात में नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना दीर्घकालिक कीटनाशक जाल (एलएलआईएन) पंजीकरण और आवश्यक मंजूरी के लिए एक साथ आवेदन किया जा सकता हैं।
    - आयात निर्यात उद्देश्यों के लिए नियमों का अनुपालन। (केवल निर्यातकों और आयातकों के लिए)
- अंतर्राष्ट्रीय बोली में भाग लेने वाले निर्यातकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यकता है (उदाहरण नीचे दिए गए हैं।)

कीटनाशकों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश। कीटनाशकों के वितरण और उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता
वेक्टर नियंत्रण उत्पाद पूर्व योग्यता पृष्ठ

दीर्घकालिक कीटनाशक जाल (एलएलआईएन) उत्पादों के पंजीकरण धारकों के लिए मार्गदर्शन /दिशानिर्देश

बिक्री, निर्यात या आयात के लिए लक्षित सभी एलएलआईएन को सीआईबी औरआरसी के साथ व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत किया जाना जरूरी है। एक बार जब उत्पादकों और आयातकों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है, तो वे पंजीकरण धारक बन जाते हैं।

- एनसीवीबीडीसी के अंतर्गत, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (राष्ट्रीय रोगाणुवाहक(वेक्टर) जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, एनवीबीडीसीपी)में, पंजीकृत दीर्घकालिक कीटनाशक जाल (एलएलआईएन) को सम्मिलित करना।
    - वर्तमान में, दीर्घकालिक कीटनाशक जाल (एलएलआईएन)) को केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में उपयोग की अनुमति है, खुदरा बाजारों में बिक्री की अनुमती नहीं है।
    - पंजीकरण धारकों को अपने दीर्घकालिक कीटनाशक जाल (एलएलआईएन) को राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सम्मिलित करने के लिए एनसीवीबीडीसी से संपर्क करना आवश्यक है।

एनसीवीबीडीसी के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में दीर्घकालिक कीटनाशक जाल (एलएलआईएन) को सम्मिलित करने के चरण

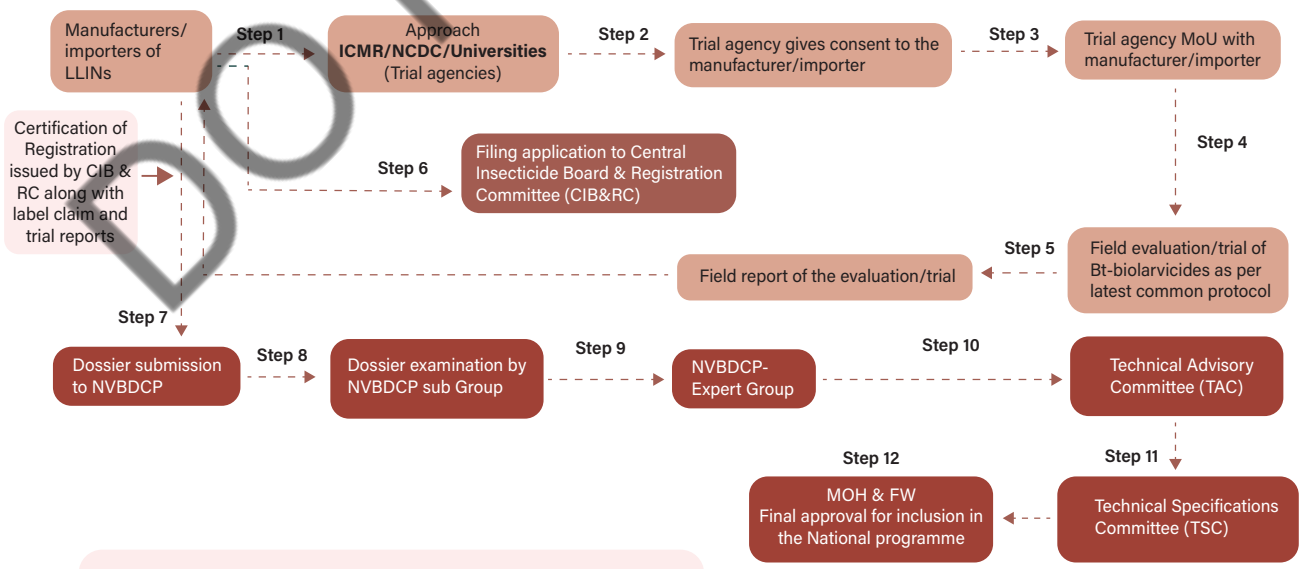

NVBDCP: National Vector Borne Disease Control Programme
NCDC: National Centre for Disease Control
ICMR: Indian Council for Medical Research
MOH & FW: Ministry of Health and Family Welfare
LLIN: Long-lasting insecticidal nets

DO NOT PRINT

रोगाणुवाहक (वेक्टर) नियंत्रण में उपयोग के लिए जैव-लार्वानाशी सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य कीटनाशकों के समान मूल्यांकन के लिए संशोधित सामान्य शिष्टाचार[2]

राष्ट्रीय रोगाणुवाहक (वेक्टर) जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में बायो-लार्वानाशी सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य कीटनाशकों की शुरूआत के लिए मानक संचालन प्रक्रिया[3]

- सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से दीर्घकालिक कीटनाशक जाल (एलएलआईएन) का व्यावसायीकरण
    - भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी (सीएमएसएस) द्वारा प्रबंधित केंद्रीकृत एलएलआईएन खरीद प्रक्रिया।
    - रक्षा क्षेत्रों, पुलिस विभागों और गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा भी खरीदा जाता है।
    - संबंधित सरकारी निकायों की खरीद प्रक्रिया और बोली शर्तों का अनुपालन करना।

महत्वपूर्ण वेब लिंक

केंद्रीय कीटनाशक मंडल एवं पंजीकरणसमिति (सीआईबी एवं आरसी)	ppqs.gov.in/divisions/central-insecticides-board-registration-committee
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)	www.bis.gov.in/
रोगाणुवाहक (वेक्टर) जनित रोग के लिए राष्ट्रीय केंद्र नियंत्रण (एनसीवीबीडीसी)	ncvbdc.mohfw.gov.in/
केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी (सीएमएसएस)	www.cmss.gov.in/

DO NOT PRINT

2. https://ncvbdc.mohfw.gov.in/Doc/Revised-Common-Protocol-2014.pdf
3. https://ncvbdc.mohfw.gov.in/Doc/Final%20Interim%20Standard%20Operating%20Procedure%20(SOP)%20%20for%20introduction%20of%20public%20health%20pesticides%20including%20biolarvicides%20in%20the%20NVBDCP.pdf